फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

वादी — शान्ता विपक्षी — रामा

किस्म मुकदमा — 88, 188 PT Act पत्रावली संख्या — 132/18 सन् —

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	09/9/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण को बार-बार आवाजे दिलवाई गई। समय सॉय 5:00PM हो चुके हैं। स्वयं वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण वर्तमान में साक्ष्य वादी में लम्बित हैं। वादीगण को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति सजग नहीं है एवं मात्र प्रकरण को लम्बा करना चाह रहे हैं. आज भी स्वयं वादीगण एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। अत: अधिवक्ता वादीगण मय स्वयं वादीगण अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia Date: 2025.09.17 18:31:14 IST Reason: SelfAttested सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली जिला-उदयपुर (राज.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	